

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं

नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,

लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 3.1519 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 3.2004 हे.) म.प्र. जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत।
(FP/MP/WATER/145025/ 2021)

संदर्भ:- आपका का पत्र क्रमांक/6-MPB 034/2022-BHO दिनांक 14.02.2024.

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

शर्त-A

- 1- शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की एकजाई लागत राशि ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/154588/2022 में राशि रु0 54,98,381/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दि. 20.03.2024 को जमा की जा चुकी है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में दी गई गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित/नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर का आदेश, फार्म पी-2 आदि की छायाप्रति संलग्न है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 38,72,393/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 20.03.2024 को जमा की जा चुकी है।
- 5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि दिनांक 20.03.2024 को एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर सिंगरौली का प्रमाण पत्र दिनांक 21.11.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

- 7- शर्त क्रमांक (7) के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) ने अशासकीय टीप क्रमांक/86 दिनांक 23.01.2024 से अभिमत दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। जिसका पालन आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा।
- 8- शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 9- शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है एवं प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी, सिंगरौली से प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है।
- 10- शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा Muck shall be disposed off in forest area के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया है, छायाप्रति संलग्न है।
- 11- शर्त क्रमांक (11) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 53823 है।
- 12- शर्त क्रमांक (12) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 13- शर्त क्रमांक (13) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।

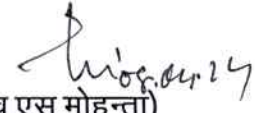
शर्त-B

- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) से (5) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 5- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है कि 1.5 मीटर नीचे पाईप लाईन बिछाई जायेगी तथा उसे समतल किया जावेगा।
- 6- शर्त क्रमांक (7) से (15) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

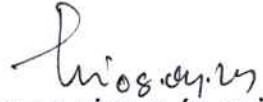
भवदीय


(एच.एस.मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1171/2022/10-11/199
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 8-4-24

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
 3. महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल